मूल्य 1 रुपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 69 | जून, 2024 | अंक 06 | कुल पृष्ठ 6

अमृतकाल में कृषि

अमृतकाल में भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तन और रिसर्च फंडिंग में कमी की चुनौती से निपटने की जरूरत है। भारतीय कृषि को किसानों के लिए फायदे का सौदा बनाने और जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए पुराने तौर-तरीकों से अलग हटकर सोचने की जरूरत है। अभी तक की नीतियों और योजनाओं से मिश्रित सफलता मिली है, जिनमें सुधार की आवश्यकता है। साथ ही जलवायु परिवर्तन, घटते भूजल स्तर और एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए फंडिंग की कमी जैसी चुनौतियों से निपटने की आवशयकता है।

"अमृतकाल में कृषि" विषय पर भारत कृषक समाज और रूरल वॉयस की ओर से शुक्रवार को नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित रखते हुए कृषि विविधिकरण, नई तकनीक और नीतिगत बदलाव अगले 25 वर्षों के लिए जरूरी हैं।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व खाद्य और कृषि सचिव एवं भारत कृषक समाज के प्रेसिडेंट टी. नंदकुमार ने कहा कि कृषि नीतियों को किसान केंद्रित बनाने की आवश्यकता है। यह मानसिकता बदलने की जरूरत है कि कृषि नीति और किसानों के लिए नीति अलग-अलग हैं। उन्होंने कहा कि कृषि नीतियों का लक्ष्य देश के किसानों की खुशहाली होना चाहिए। किसानों के विकल्प और निर्णयों को सीमित करने की बजाय नीतियों का जोर किसानों को स्वतंत्रता और लेने की छूट देने पर होना चाहिए। नंदकुमार ने कहा कि स्टॉक सीमा और निर्यात प्रतिबंध से जुड़े एडहॉक फैसलों से किसानों को नुकसान पहुंचता है। इसकी भरपाई कैसे होगी, इस बारे में भी सोचना चाहिए।

कार्यक्रम की शुरुआत में विषय को प्रतिभागियों के सामने रखते हुए भारत कृषक समाज के चेयरमैन अजय वीर जाखड़ ने कहा कि कृषि और किसानों से जुड़ी समस्याओं की लंबी फेहरिस्त है। इनमें नीति निर्माण, क्लाइमेट चेंज, किसानों की आय, पानी की बढ़ती समस्या, क्रेडिट, डब्लूटीओ की नीतियां और घरेलू बाजार व फसलों की वाजिब कीमत और टेक्नोलॉजी जैसे विषय शामिल हैं। कृषि के लिए नीतिगत मुद्दों पर गंभीर चिंतन के बाद नीतियां बनाने और उनको लागू करने की जरूरत है। ऐसे में अमृत काल में कृषि के लिए क्या जरूरी है, इन सब पर चिंतन करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

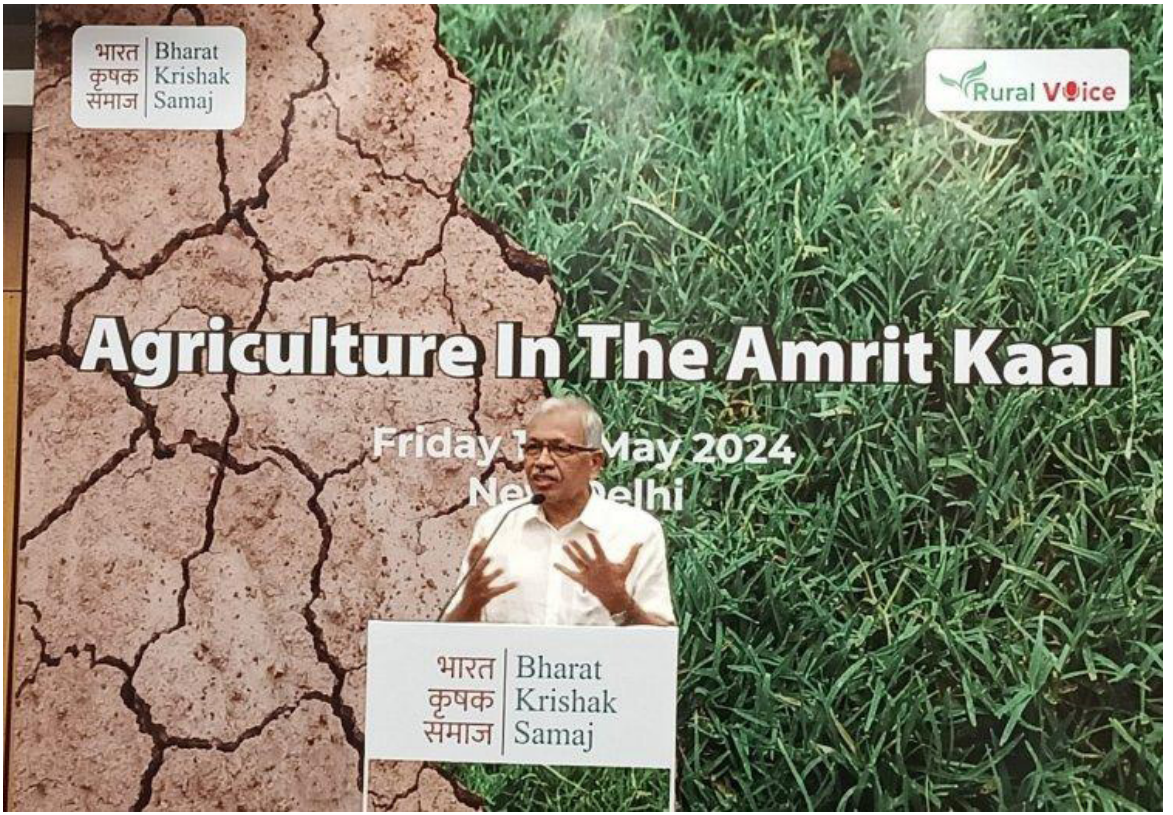

"अमृतकाल में कृषि" विषय पर भारत कृषक समाज और रूरल वॉयस की ओर से शुक्रवार 17 मई 2024 को नई दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। श्री टी. नंदकुमार, भारत कृषक समाज के प्रेसिडेंट एवं पूर्व खाद्य और कृषि सचिव, भारत सरकार, अपना वक्तव्य देते हुए।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए आईटीसी के कृषि और आईटी बिजनेस के प्रमुख एस. शिवा कुमार ने कहा कि यदि हम भारतीय किसानों को समृद्ध बनाना चाहते हैं तो हमें उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि भारत में कृषि से जुड़े 1500 से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं, उन्हें अपने इनोवेशन के जरिए किसानों की आय में बढ़ोतरी के उपाय निकालने होंगे।

प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारतीय कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सीडी मायी ने कहा कि देश को राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) के तहत विभिन्न क्षेत्रों के अनुसंधान संस्थानों जैसे आईआईटी, आईआईएम और समाजशास्त्रियों को एकीकृत करने की आवश्यकता है। उन्होंने एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए फंडिंग की कमी पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत में कृषि जीडीपी का लगभग 0.4-0.6 प्रतिशत अनुसंधान पर खर्च होता है जबकि इसका विश्व औसत 0.94 प्रतिशत है। डॉ. मायी के अनुसार, "हमें अगले 25 वर्षों में इस खर्च को कम से कम कृषि जीडीपी के 1 प्रतिशत तक बढ़ाने की जरूरत है।" उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) की भूमिका और फंडिंग में उनकी हिस्सेदारी पर फिर से विचार करने की जरूरत बताई।

पंजाब के पूर्व कृषि आयुक्त बलविंदर सिद्धू ने अपने संबोधन में कहा कि गिरते भूजल स्तर की समस्या और इससे निपटने के लिए नीतिगत उपायों पर जोर दिया। उन्होंने देश की खाद्य सुरक्षा और फसल विविधिकरण की चुनौतियों के बारे में भी अपने अनुभव साझा किए।

सम्मेलन में द्वारा होल्डिंग्स के सह-संस्थापक और प्रबंध ट्रस्टी समीर शाह ने एग्रीकल्चर क्रेडिट की मौजूदा स्थिति, फिनटेक की भूमिका और इस क्षेत्र की संभावनाओं के बारे में अपने विचार रखे।

सम्मेलन में वर्ल्ड इकनॉमिक सेंटर के सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवलूशन के प्रमुख पुरूषोत्तम कौशिक ने डिजिटल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो रहे नए प्रयासों और नवाचारों के बारे में बताते हुए किसानों की आमदनी बढ़ाने में डिजिटल तकनीक की संभावनाओं के बारे में बताया। सम्मेलन में ओलम इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपम कौशिक सहित कृषि क्षेत्र के कई विशेषज्ञ और किसान प्रतिनिधि शामिल हुए।

भारत कृषक समाज की बुनियाद 3 अप्रैल, 1955 को रखी गई थी। अटूट भावना के साथ, हम गर्व से अपने 70वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, जो भारत के किसानों की समृद्धि के लिए हमारी स्थायी प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है।

कृषक समाचार 1960 और 1970 के दशक के लेखों के साथ हमारी विरासत की प्रतिध्वनियों को उजागर करते हुए पुनः खोज की यात्रा पर निकल पड़ा है। जैसे ही हम स्मृति के क्षेत्रों से गुज़रते हैं, हमारे साथ जुड़ें, जहाँ अतीत का ज्ञान हमारे साझा भविष्य के लिए मार्गदर्शन में विकसित होता है।

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

हम सब मिलकर अपनी बुनियादी जड़ों का सम्मान करेंगे और आगे का रास्ता मजबूत करेंगे!

कृषक समाचार, मई 1964 अंक में प्रकाशित

(कृषि को सब्सिडी दें)

डॉ. पंजाबराव देशमुख, सांसद, का शनिवार, 28 मार्च 1964 को लोकसभा में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के दौरान दिया गया भाषण। (जिस समय उन्होंने यह भाषण दिया, उस समय वे भारत कृषक समाज के प्रेसिडेंट थे। इससे पिछले मंत्रालय में वे खाद्य एवं कृषि मंत्री थे)

डॉ. पी.एस. देशमुखः सर, मैं यहां कुछ और बातें कहने की सोच कर आया था। लेकिन लगता है कि मुझे उन बिंदुओं को तरजीह देनी चाहिए जिनका जिक्र मैंने अभी भाषणों में सुना है। खासकर बिजली की दरों और किसानों को कर्ज के बारे में। मैं जानता हूं कि मेरा समय सीमित है, इसलिए बिना किसी प्रस्तावना के मैं सीधे विषय वस्तु पर आता हूं।

जहां तक बिजली की दरों की बात है, तो मेरा कहना और मेरा आग्रह है, यह सही समय है कि सरकार पूरे विषय पर किसान के नजरिए से विचार करे। श्री एस.के. पाटील ने जोर देकर कहा था कि यहां उनके भाषण देने के बाद सरकार की नीति किसान-उन्मुख होगी। मूल्य समर्थन वाले कदमों के तौर पर हमने इसके कुछ प्रमाण भी देखे। इसके नतीजे अच्छे आए हैं। लेकिन यह मूल्य समर्थन क्या है? यह किसके दृष्टिकोण से है? वार्षिक रिपोर्ट में इसे एक उचित कीमत बताया गया है, लेकिन इस देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उचित कीमत अपर्याप्त है। यह उत्पादक के लिए लाभकारी मूल्य होना चाहिए। यही सरकार की संपूर्ण कृषि नीति का निचोड़ भी होना चाहिए।

हम जानते हैं कि देश में करोड़ों किसान ऐसे हैं जो दो जून की रोटी नहीं जुटा सकते। हमें उन पर उतना ही ध्यान देने की जरूरत है जितना ध्यान हम उद्योगों में काम करने वालों और शहरी कर्मचारियों को देते हैं। श्रमिकों के लिए हमारे पास कानून है, संगठन और वेलफेयर अधिकारी है, लेकिन हमने कभी किसानों के लिए वेलफेयर अधिकारी की कल्पना नहीं की। हमें इसे लागू करना पड़ेगा। हमें किसान की आर्थिकी को देखना पड़ेगा ताकि वह अपने शरीर और अपनी आत्मा को साथ रख सके। इसके बिना आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वह न सिर्फ उत्पादन के स्तर को बरकरार रखेगा बल्कि उसे बढ़ाएगा भी। यह असंभव है। मंत्रालय को श्रेय देने लायक कई उपलब्धियां हैं। इसके बावजूद हमारा खाद्य आयात बढ़ रहा है और उत्पादन में ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही है। इसलिए पुराने नजरिए से इस मुद्दे को देखना मूर्खता होगी।

लघु सिंचाई में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन उपज कहां है? उत्पादकता का क्या हुआ? हमारे पास 41 लाख टन से अधिक अमोनियम सल्फेट था, लेकिन उपज कहां है? दस करोड़ टन कंपोस्ट है, लेकिन एक टन कंपोस्ट कितना अधिक अनाज उत्पन्न करेगा? कहां है उपज? इन सब बातों पर गौर करने पर लगता है कि सरकार जितनी जल्दी इसे महसूस करेगी उतना बेहतर होगा। अर्थात आपको किसानों के बजट का ध्यान रखना पड़ेगा। ये किसान खाद्यान्न नहीं उपजाने वाले उन लोगों के लिए सरप्लस उपजाते हैं जिनके बीच आप उस खाद्यान्न का वितरण करना चाहते हैं। यही समस्या की जड़ है। इसलिए खेती में जहां भी जरूरत हो, वहां सब्सिडी देने का फैसला सरकार जितनी जल्दी करे उतना बेहतर होगा।

मैं नहीं चाहता कि सरकार ऐसी सब्सिडी दे जो सामान्य प्रकृति की हो अथवा जिस पर उचित तरीके से विचार न किया गया हो। लेकिन हमें कृषि कार्य के लिए सब्सिडी देनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए, जहां तक बिजली का सवाल है, तो सरकार सभी राज्यों से कह सकती है कि किसी भी किसान से प्रति यूनिट नौ नए पैसे से ज्यादा शुल्क नहीं लिया जाएगा और इसकी अनुमति भी नहीं होगी। नौ नए पैसे से नीचे राज्य सरकार जो भी सब्सिडी देगी, केंद्र सरकार उसके बराबर की राशि देगी।

मेरे मित्र श्री थॉमस ने कहा कि इसके लिए करीब एक करोड़ रुपए की जरूरत होगी। लेकिन सरकार के लिए एक करोड़ रुपए क्या है? करोड़ों रुपए बर्बाद जाते हैं। मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं। मैं भी इसे नहीं रोक पाया। आज 300 रुपए पाने वाले व्यक्ति को पदोन्नत कर 700 रुपए दिए जाते हैं, क्योंकि वह सबसे अधिक काबिल व्यक्ति है। मोटा वेतन के विज्ञापन वाली नौकरी में ऐसा होता है। सरकार की कार्यक्षमता बढ़ाने के बजाय तीसरी योजना का बड़ा हिस्सा उन लोगों को अधिक वेतन देने में जा रहा है।

हमारी सरकार ऐसी ही है, चाहे वह केंद्र में हो अथवा राज्यों में। किसानों के भले के लिए सीधे एक करोड़ रुपए देने में क्या हर्ज है? मैं सदन से कहना चाहूंगा कि तीन पैसे प्रति यूनिट अथवा किसान को दी जाने वाली कोई और छूट का सीधा लाभ नहीं होता। लेकिन हमें उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। इसलिए बिजली के मामले में मेरे सुझाव के मुताबिक कदम उठाए जाने चाहिए।

मैं खाद्यान्न की अब और स्टेट ट्रेडिंग के पूरी तरह खिलाफ हूं। सच तो यह है कि हमारे यहां खाद्यान्न की स्टेट ट्रेडिंग पहले ही बहुत हो रही है। विदेश से खाद्यान्न आयात कौन करता है और कौन उनका वितरण करता है? सरकार ही तो करती है। स्टेट ट्रेडिंग का प्रयोग बेवकूफी थी। जैसा मैं पहले कह चुका हूं, अनेक फर्जी विशेषज्ञ भारत सरकार के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं जो सरकार को, और यहां तक कि राष्ट्रीय विकास परिषद को गलत रास्ता दिखाते हैं। शायद कुछ अर्थशास्त्रियों ने ही कहा था कि अगर सरकार खाद्यान्न की स्टेट ट्रेडिंग करें तो 100 से 200 करोड़ रुपए का मुनाफा हो सकता है। लेकिन वास्तव में हुआ क्या? मध्य प्रदेश ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन वे बेच नहीं पाए और उन्हें ढाई करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। समाजवादियों के लिए स्टेट ट्रेडिंग एक नारा है और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हर मर्ज की दवा। मैं इस तरह का समाजवाद कभी नहीं चाहूंगा।

अतः मेरा सुझाव है कि स्टेट ट्रेडिंग जहां हो रही है वहां जारी रहे। जैसे आयात का जिम्मा निजी व्यापारियों के हाथों में नहीं दिया जाना चाहिए, स्टॉक का वितरण भी निजी व्यापारियों को नहीं सौंपा जाना चाहिए, लेकिन स्टेट ट्रेडिंग का दायरा भी नहीं बढ़ना चाहिए। मैं जानता हूं कि कुछ लोग हैं जो कोऑपरेटिव को पसंद नहीं करते, लेकिन आखिरकार कोऑपरेटिव ही हैं जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखेंगे। यह स्टेट ट्रेडिंग के जरिए नहीं हो सकता है।

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

RNI No. 831/1957
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2024-26
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं. U(C)-92/2024-26

प्रकाशन की तिथि : 1 जून, 2024
एल.पी.सी., दिल्ली आर.एम.एस, दिल्ली–6,
तारीख 4 एवं 5, जून 2024

सार्वजनिक सूचना

भारत कृषक समाज के सदस्यों से अनुरोध है कि वे भारत कृषक समाज के महासचिव के कार्यालय के साथ अपने संपर्क विवरण को अद्यतन करें।

संपर्क विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है:

नामः _____

सदस्यता संख्याः _____

वर्तमान पताः _____

_____

टेलीफोन नंबरः _____

मोबाइल नंबरः _____

ईमेलः _____

(कृपया पते का सबूत की एक छायाप्रति संलग्न करें)

विधिवत भरा हुआ फॉर्म निम्नलिखित पते पर स्पीड पोस्ट या ईमेल द्वारा इस माह के अन्त तक या उससे पहले जमा कराएं:

महासचिव
भारत कृषक समाज
ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली, 110013
ईमेलः– Samdarshi.bks@gmail.com
टेलीफोनः– 011–41402278

नोटः आपसे अनुरोध है कि आप अन्य सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए सूचित करे।

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–41402278, 9667673186, ई–मेलः ho@bks.org.in, **वैबसाईटः** www.bks.org.in **के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।**